कार्यालय कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

क0 13 अ–82/19–20 /बडोरी/ 3374 बैतूल दिनांक 17.3.2020
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल।

विषयः– **ग्राम बडोरी तहसील बैतूल के भू–अर्जन प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत।**

–0–

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत मौजा बडोरा तहसील बैतूल के भूमिस्वामियों की भूमि गोराखार–सरण्डई जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु पूरक अर्जन किए जाने हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें। 17/3/2020

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(राकेश सिंह)
कलेक्टर एवं
भू–अर्जन अधिकारी बैतूल

पृ0क0–13 अ–82/2019–20/बडोरी/ 3374 बैतूल दिनांक 17.3.2020
प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी, (रा) बैतूल को अग्रेषित, समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
2– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, क्रमांक–2, बैतूल
3– प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
5– तहसीलदार बैतूल को प्रश्नांकित स्थल/ग्राम पंचायत एवं कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

17/3/2020
कलेक्टर एवं
भू–अर्जन अधिकारी बैतूल

D:\DATA 2.7.19\10.11.19\curs new 1.doc

प्र0क्र0 13 अ–82/19–20
मौजा बडोरी

प्ररूप "ख"
(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1–	परियोजना का नाम	:– सरण्डई –गोराखार जलाशय (पूरक)
2–	लोक प्रयोजन	:– सिंचाई हेतु
3–	स्थल	:– बडोरी
4–	परियोजना का क्षेत्र	:– बडोरी
5–	विकल्प जिन पर विचार किया गया	:– यह भूमि जलाशय के लिए अति उपयुक्त एवं कम से कम शासकीय व्यय आने तथा लगभग 195 हे0 रकबा सिंचित होने के कारण इस जगह का चयन किया गया है।
6–	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	:– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–2 बैतूल जिला बैतूल
7–	परियोजना निर्माण के चरण	:– प्रथम एवं अंतिम
8–	परियोजना के प्रभावो को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	:– प्रकरण में नक्शा संलग्न है।
9–	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	:– 0.260 हे0
10–	भूमि का मूल्य प्रति हे0	ग्राम बडोरा सिंचित, 3,87,200/–असिंचित 1,93,600/–
11–	प्रभावित परिवारों की संख्या	:– ग्राम बडोरी के 3 कृषक
12–	परिसम्पतियां:–	लोक सम्पति भूमि अन्य निरंक निजी सम्पति भूमि 0.260 हे0 भवन निरंक
13–	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	:–ग्राम बडोरी के परिवारों की संख्या निरंक

14– सामाजिक समाघात
(क) समाघातों का विवरण :– निष्कर्ष में उल्लेखित है ।
(ख) समाघातों की संकेतक सूची निरंक

15– विकल्प जिन पर विचार किया गया
(क) यदि हां – तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? लोक प्रयोजन हेतु
(ख) यदि नहीं – तो क्यो ? निरंक

निष्कर्ष :–

(1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
(2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
(3) परिसम्पतियों के मुआवजे के सम्बंध में प्रचलित विधि/नियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।
(4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है ।
(5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।
(6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।
(7) पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पढ़ेगा । आवेदक विभाग वनीकरण हेतु आवश्यक उपाय करेगे।

(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)
(मदन हीरे)	उपवन मंडलाधिकारी, बैतूल	अविअ जलसंसाधन	(नितिन टाले) डिप्टी कलेक्टर बैतूल

दिनांक 26/02/2020